(306)

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

क्रमांक / एफ—16—01 / 2012 / 10—2 भोपाल, दिनांक 30 / 05 / 2012

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

सतपुड़ा भवन

मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय :— संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को बांस के विदोहन से प्राप्त शुद्ध लाभ की राशि का शत—प्रतिशत कटाई में संलग्न श्रमिकों को वितरण।

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश प्रदाय के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि औद्योगिक तथा व्यापारिक बांस विक्रय से प्राप्त शुद्ध लाभ की गणना जिले को इकाई मानते हुए जिले में बांस से प्राप्त कुल आय में से बांस कटाई व्यय, बंडलिंग, री—बंडलिंग, स्टेकिंग, परिवहन एवं डिपो में स्टेकिंग आदि पर किया गया वास्तवित व्यय तथा बांस विक्रय पर देय समस्त प्रकार के कर / उपकर को घटाकर की जायेगी। इस प्रकार प्राप्त शुद्ध लाभ को जिले में उत्पादित बांस की कुल मात्रा से भाग देकर प्रति नोशनल टन शुद्ध लाभ परिगणित किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार परिगणित शुद्ध लाभ का शत—प्रतिशत कटाई में संलग्न श्रमिकों को उनके द्वारा किये गये कार्य के समानुपातिक वितरण किया जाये। यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2011—12 में अर्जित शुद्ध लाभ के आधार पर वितरण वर्ष 2012—13 से लागू की जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(विश्राम सागर शर्मा)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ0 क्रमांक/एफ–16–01/2012/10–2 भोपाल, दिनांक 30/05/2012

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. सचिव,, समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. निज सचिव, माननीय वनमंत्री जी मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. निज सहायक माननीय राज्यमंत्री जी वन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. निज सचिव, प्रमुख सचिव, वन मध्यप्रदेश भोपाल।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

8. गार्ड फाईल।

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग